111

श्रीमान्सदस्यमहोदय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट

रीवा, जिलारीवाम०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

III/निग/रीवा/77-210/2017/2027

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

5रु. INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित / विलोपित

अधि० श्री राजेन्द्र शर्मा
द्वारा पेश। 29.6.17

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किल कोर्ट) रीवा

चन्द्रमणि द्विवेदी तनय राममिलन द्विवेदी उम्र 49 वर्ष, पेशा खेती निवासी मरुहिया, तहसील सेमरिया, थाना सेमरिया जिलारीवाम०प्र० ------- -------- निगराकार

विरुद्ध

1- इतिनारायण पिता भीमसेन शर्मा उम्र 35वर्षपेशा खेती,

2-श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी इतिनारायण शर्मा उम्र 30 साल पेशा घरुकाम निवासीगण ग्राम सेमरिया, तहसील सेमरिया, जिलारीवाम०प्र० ------ --------- गैरनिगराकारगण

निगरानीविरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-5/ 2016-2017मेपारित आदेश 5-11-16 ।

निगरानीअन्तर्गत धारा50 म०प्र०भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण कासंक्षिप्त विवरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक ।।।/निग./रीवा/भू.रा./2017/2027

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1 अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 5–11–16 से किये गये नक्शा तर्मीम के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सेमरिया ने आदेश दिनांक 5–11–16 से ग्राम बेलहाई की भूमि सर्वे क्रमांक 7/1/4 एंव 7/1/1 के नक्शा तर्मीम वावत् आदेश पारित किया है। तहसीलदार का नक्शा तर्मीम आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित है एंव संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई का औचित्य नहीं है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है । सदस्य	